संख्या:34/2018/987जेएल/22-3-18-53/2016

प्रेषक,

श्री अरविन्द कुमार,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1-समस्त जिला मजिस्ट्रेट, उत्तर प्रदेश।
2-समस्त जनपद के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, उत्तर प्रदेश।
3-समस्त वरिष्ठ अधीक्षक/अधीक्षक, आदर्श/केन्द्रीय/जिला, कारागार, उत्तर प्रदेश।
4-समस्त जनपद के प्रोबेशन अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3 ***लखनऊ: दिनांक: 24 मई, 2018***

विषय- प्रदेश की कारागारों में निरूद्ध सिद्धदोष बंदियों को भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-432(2) के अन्तर्गत सजा का परिहार एवं निलम्बन के सम्बन्ध में मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा अभिमत दिए जाने के निमित्त मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा जारी दिशा-निर्देश का अनुपालन किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि क्रिमिनल अपील संख्या-1215/2011-भारत संघ बनाम वी0श्रीहरन उर्फ मुरूगन व अन्य में मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 02-12-2015 के अन्तर्गत राज्य सरकारों द्वारा सिद्धदोष बंदियों को भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-432(2) के अन्तर्गत सजा का परिहार एवं निलम्बन को स्वत: संज्ञान लिए जाने को प्रतिबंधित किया गया है तथा कतिपय समयपूर्व रिहाई प्रकरणों एवं सजा के अस्थाई निलम्बन पर विचारण हेतु राज्य सरकार द्वारा सम्बन्धित मा0 दण्डन न्यायालय अथवा सजा पुष्टित करने वाले मा0 न्यायालय के पीठासीन अधिकारी का अभिमत प्राप्त किया जाना बाध्यकारी आदेशित किया गया है।

2- उत्तर प्रदेश राज्य के मा0 न्यायालयों द्वारा दण्डित प्रदेश की कारागारों में निरूद्ध सिद्धदोष बंदियों को भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-432(2) के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा सजा का परिहार एवं निलम्बन हेतु विचारण के सम्बन्ध में मा0 दण्डन न्यायालय के पीठासीन अधिकारी के अभिमत प्राप्त किए जाने में आ रही कठिनाइयों के निमित्त शासकीय पत्र संख्या-1311जेएल/22-3-16-800(09)/2012, दिनांक 29-08-2016 द्वारा किये गये अनुरोध पर मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा मा0 न्यायमूर्ति श्री गोविन्द माथुर की अध्यक्षता में 03 सदस्यीय समिति का गठन किया गया। इस समिति द्वारा सुझाव दिया गया कि **ऐसे मामलों में जिनमें दण्डन न्यायालय, मा0 उच्च न्यायालय है, मा0 उच्च न्यायालय द्वारा अभिमत केवल उन्हीं प्रकरणों में प्रदान किया जायेगा जिनमें मा0 सत्र न्यायालय द्वारा अभियुक्त को निर्दोष किये जाने के निर्णय को अपास्त कर मा0 उच्च न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध किया गया है अथवा ऐसे बंदियों, जिनके मृत्युदण्ड को मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टित किया गया हो। इससे इतर**

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

अन्य मामलों की स्थिति में अभिमत उसी सत्र न्यायालय या विशेष जज न्यायालय, जैसी भी स्थिति हो, के पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रदान किया जायेगा जिसके द्वारा सजा दी गई हो। मा0 उच्च न्यायालय से अभिमत वांछित होने की स्थिति में उक्त समिति द्वारा जनपदीय स्तर पर निम्नानुसार समिति तत्काल गठित किये जाने का निर्देश भी दिया गया है :-

(1)	सम्बन्धित जनपद के जिला मजिस्ट्रेट	अध्यक्ष
(2)	सम्बन्धित जनपद के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक	सदस्य
(3)	सम्बन्धित जनपद की कारागार के वरिष्ठ अधीक्षक/अधीक्षक (जहां पर बंदी निरूद्ध है)	सदस्य
(4)	सम्बन्धित जनपद के प्रोबेशन अधिकारी	सदस्य

3- उक्त जनपद स्तरीय समिति की बैठक में न्यूनतम 03 सदस्यों का उपस्थित होना अनिवार्य है। समिति के अध्यक्ष द्वारा बैठक में प्रतिभाग न कर पाने की दशा में बैठक हेतु निर्धारित 'कोरम' के सदस्यों द्वारा बैठक सम्पादित की जायेगी और कार्यवृत्त अध्यक्ष के अनुमोदन हेतु अग्रसारित किया जायेगा। बैठक में जनपद स्तरीय समिति द्वारा निम्न बिन्दुओं पर विचारण किया जायेगा:-

(1) सजा का परिहार अथवा सजा के अस्थाई निलम्बन के लिए बंदी द्वारा दर्शाये गये कारण की प्रमाणिकता।

(2) बंदी का कारागार में निरूद्धि अवधि में आचरण।

(3) बंदी द्वारा पूर्व में उपभोग किये गये सजा के अस्थाई निलम्बन अवधि में उसका आचरण (यदि कोई है)।

(4) सजा का परिहार अथवा सजा के अस्थाई निलम्बन की स्वीकृति के उपरान्त पीड़ित पक्ष के परिवार, सम्बन्धी तथा अन्य परिचित व्यक्तियों पर पड़ने वाला प्रभाव (समिति द्वारा इस सम्बन्ध में पीड़ित पक्ष अथवा उसके परिजन को आपत्ति दाखिल करने हेतु बुलाया जायेगा तथा उनके द्वारा दाखिल की गयी आपत्तियों के आलोक में समिति द्वारा संस्तुति की जायेगी)।

(5) सजा का परिहार अथवा सजा के अस्थाई निलम्बन की स्वीकृति का बंदी के परिवार तथा अन्य परिचित व्यक्तियों पर पड़ने वाला प्रभाव।

(6) सजा का परिहार अथवा सजा के अस्थाई निलम्बन की स्वीकृति का समाज पर पड़ने वाला सामान्य प्रभाव।

(7) सजा का परिहार अथवा सजा के अस्थाई निलम्बन अस्वीकार किये जाने की स्थिति में बंदी को होने वाली क्षति/पड़ने वाला प्रभाव (यदि कोई हो)।

(8) सजा का परिहार अथवा सजा के अस्थाई निलम्बन पर कारागार से मुक्त होने पर बंदी के व्यक्तिगत जीवन के खतरे का आकलन।

(9) बंदी जिस अपराध के लिए दण्डित होकर सजा काट रहा है, उसकी गम्भीरता, आपराधिक क्रूरता तथा परिस्थितियॉ, जिसके परिणामस्वरूप अपराध कारित किया गया है।

(10) अन्य सभी पहलुओं, जिन पर समिति की राय प्रासंगिक है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

4- समिति की बैठक में विचारण हेतु आवश्यक समस्त सामग्री/अभिलेख प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा उपलब्ध कराये जायेगें। उपलब्ध सामग्री के आधार पर समिति अपनी आख्या तत्काल प्रमुख सचिव, गृह(कारागार) विभाग, उ0प्र0 शासन को उपलब्ध करायेगी। जनपदीय समिति की आख्या प्राप्त होने पर प्रमुख सचिव, गृह(कारागार) विभाग, उ0प्र0 शासन अपने अभिमत के साथ शीघ्रातिशीघ्र (अधिकतम 15 दिन की अवधि में) मा0 उच्च न्यायालय को प्रेषित करेगें।

5- उक्त के क्रम में अभिमत प्राप्त होने के उपरान्त राज्य सरकार अथवा प्राधिकृत प्राधिकारी द्वारा बंदी के सजा का परिहार अथवा सजा के अस्थाई निलम्बन, निर्धारित शर्ते तथा सम्बन्धित जिला मजिस्ट्रेट के संतोषानुसार व्यक्तिगत बन्ध-पत्र और जमानत राशि के आधार पर प्रदान किया जायेगा। राज्य सरकार द्वारा अभिमत से असहमति होने की दशा में असहमति के कारण सहित मा0 न्यायालय को अवगत कराया जायेगा तथा मा0 न्यायालय का नवीन अभिमत प्राप्त करने के बाद अन्तिम निर्णय लिया जायेगा।

6- अतएव अनुरोध है कि कृपया प्रदेश की कारागारों में निरूद्ध सिद्धदोष बंदियों को सजा के अस्थाई निलम्बन के सम्बन्ध में मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद/लखनऊ से अभिमत प्राप्त किये जाने हेतु उक्तानुसार यथानिर्देशित प्रक्रिया का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करते हुए अग्रेतर कार्यवाही की जाय।

भवदीय,

अरविन्द कुमार
प्रमुख सचिव।

संख्या:34/2018/987जेएल(1)/22-3-18-तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महानिबन्धक, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।

2- प्रमुख सचिव, न्याय विभाग/विधि परामर्शी, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।

3- निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री, कारागार विभाग, उत्तर प्रदेश।

4- महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ।

5- समस्त परिक्षेत्रीय उप महानिरीक्षक, कारागार, उ0प्र0।

6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।